भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या– 191
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को स्वदेश वापस भेजने की योजना

*191. **श्री हैबी ईडनः**
डॉ. अमर सिंहः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सऊदी अरब सहित अन्य देशों में कार्यरत अथवा रह रहे भारतीय नागरिकों की मृत्यु के मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) भारतीय मिशनों द्वारा मृतकों के पार्थिव शरीर को भारत वापस भेजने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है;
(ग) क्या सरकार विभिन्न देशों से स्वदेश वापसी में लगने वाले समय के संबंध में आंकड़े रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय मिशनों, संकटग्रस्त परिवारों और विमानन कंपनियों के बीच समन्वय के माध्यम से शीघ्र स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध प्रोटोकॉल स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) भारत में परिवारों के समक्ष परिवहन की उच्च लागत, प्रलेखन में विलंब और स्पष्ट सूचना संप्रेषण की कमी सहित कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(च) क्या दूतावासों के पास संकटग्रस्त परिवारों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी, समन्वय प्रणाली और आपातकालीन निधियां हैं?

उत्तर
विदेश मंत्री
(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(**क से च**) **विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।**

'भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर के स्वदेश वापस भेजने की योजना' के संबंध में श्री हैबी ईडन और डॉ. अमर सिंह द्वारा दिनांक 12.12.2025 को पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *191 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क से च) सरकार विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने और इन्हें सुलझाने को उच्च प्राथमिकता देती है, जिसमें मृत्यु संबंधी, स्थानीय दाह संस्कार/शवाधान और पार्थिव शरीर को भारत में उनके गृहनगर तक लाना शामिल है। हाल ही में विदेश में कार्यरत या निवास करने वाले भारतीय नागरिकों की मौत से जुड़े मामलों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2016 से भारत लाए गए भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीरों की वर्ष-वार सूची **अनुबंध-I** पर दी गई है।

मंत्रालय में विदेश स्थित सभी मिशनों और केन्द्रों के साथ समन्वय करने के लिए एक सुस्थापित तंत्र/एसओपी मौजूद है ताकि विदेशों में भारतीय नागरिकों की मृत्यु या उनके गृह नगरों तक उनके पार्थिव शरीरों के परिवहन के मामलों में सहायता प्रदान की जा सके। विदेशों में दिवंगत भारतीयों के पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए स्थानीय कानूनों के अनुसार कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, और उसके बाद ही स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ऐसे शव / शवों को भारत ले जाने की अनुमति दी जाती है। अगर मौत अप्राकृतिक है तो पुलिस द्वारा जांच संपन्न करनी होती है। ऐसे मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निपटाने के लिए सभी भारतीय मिशनों और केन्द्रों में एक सुस्थापित तंत्र मौजूद है। जैसे ही विदेश स्थित किसी भारतीय मिशन/केन्द्र को किसी भारतीय नागरिक की मौत के बारे में जानकारी मिलती है, वे भारतीय नागरिक की मौत के कारण के बारे में स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगकर सक्रिय कार्रवाई करते हैं। विदेश स्थित हमारे मिशन और केन्द्र मृतक भारतीय नागरिक के निकटतम परिजनों को सूचित करते हैं और मृतक के परिवार की इच्छा के अनुसार पार्थिव शरीर को भारत लाने या स्थानीय शवाधान की सुविधा प्रदान करते हैं।

भारतीयों के पार्थिव शरीर के परिवहन में सामान्य रूप से निम्नलिखित कदम शामिल होते हैंः

i. यदि परिवार पार्थिव शरीर ले जाने के लिए विदेश आने में असमर्थ हैं, तो उन्हें विदेश में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नामित करना होता है।

ii. अधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्राधिकारी को बीमा कंपनी (यदि कोई हो) को सूचित करना होता है।

iii. अधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्राधिकारी को एक ट्रांसपोर्टर को नामित करना होता है (बीमा कंपनी के परामर्श से, यदि कोई हो)।

iv. यदि लागू हो, तो एफआईआर की एक प्रति पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त करनी होती है।

v. ट्रांसपोर्टर को पार्थिव शरीर की शीघ्रातिशीघ्र एम्बामिंग, एन्कोफिनिंग और क्वारंटीन संबंधी औपचारिकताओं को संपन्न करना होता है।

vi. अधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्राधिकारी/ ट्रांसपोर्टर को पार्थिव शरीर को भारत ले जाने के लिए हवाई टिकट बुक करना होता है।

vii. अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज (एफआईआर, यदि कोई हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल पासपोर्ट, एम्बामिंग प्रमाण पत्र, एन्कोफिनिंग प्रमाण पत्र, क्वारंटीन प्रमाण पत्र, परिवार द्वारा दिया गया प्राधिकार पत्र, सामान की सूची, हवाई यात्रा बिल (कॉपी या विस्तृत जानकारी) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और मृतक का पासपोर्ट रद्द करने और "मृत्यु प्रमाण पत्र और एनओसी" जारी करने के लिए इन्हें मिशन/केन्द्र को प्रदान करना होता है।

viii. परिवार को, यदि आवश्यक हो, उनकी ओर से भारतीय हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करने की भी आवश्यकता होती है।

पार्थिव शरीरों के परिवहन के लिए, भारतीय मिशन और केन्द्र सामान्यतः निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में विदेश स्थित विभिन्न प्राधिकारियों के साथ संपर्क करते हैंः

i. संबंधित अस्पताल से जारी चिकित्सा रिपोर्ट / मृत्यु प्रमाण पत्र;

ii. आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में पुलिस रिपोर्ट (अंग्रेजी अनुवाद के साथ, यदि रिपोर्ट किसी अन्य भाषा में है);

iii. स्थानीय दाह संस्कार / शवाधान / पार्थिव शरीरों के परिवहन के लिए मृतक के निकटतम परिजनों से सहमति पत्र;

iv. मिशन/केन्द्र द्वारा परिवहन या स्थानीय दाह संस्कार / शवाधान के लिए आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना;

v. विदेश स्थित संबंधित प्राधिकारियों से पार्थिव शरीर की एम्बामिंग (शवलेपन) के लिए अनापत्ति और व्यवस्था;

vi. स्थानीय आव्रजन/सीमा शुल्क विभाग से अनापत्ति।

पार्थिव शरीरों के प्रत्यावर्तन के लिए लगने वाला समय अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें मृत्यु का कारण, वह देश जहां से पार्थिव शरीर को लाया जाना है, संबंधित देश से भारत की दूरी, मेजबान देश के घरेलू कानून, मृतक के रोजगार की स्थिति, और अन्य बातों के साथ-साथ देश में निकटतम परिजनों की उपस्थिति शामिल है। तदनुसार, विशिष्ट देश में विनियमों के आधार पर प्रक्रियाएं एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न होती हैं। इसलिए, मृत्यु के मामलों में पार्थिव शरीरों के अंतिम परिवहन के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः अप्राकृतिक मौतों के मामलों की तुलना में प्राकृतिक मौतों के मामलों में पार्थिव शरीरों का परिवहन अधिक शीघ्रता से होता है।

सामान्य परिस्थितियों में, मेजबान देशों में प्राकृतिक मौतों के मामलों में प्रारंभिक प्रक्रिया 3 से 14 दिनों के बीच की होती है। सामान्यतः अप्राकृतिक मौतों के मामलों में विलंब होता है जहां स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कानूनी और पुलिस जांच पूरी करनी होती है। उन मामलों में भी विलंब होता है जहां मृतक की राष्ट्रीयता या पहचान स्थापित करने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में, मृतक की पहचान हेतु डीएनए प्रोफाइलिंग भी की गई। कुछ मामलों में, मृतक के परिवार का पता नहीं लग पाया या पार्थिव शरीरों के परिवहन या स्थानीय शवधान / दाह संस्कार के लिए वे सहमत नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप विलंब हुआ।

जैसे ही अधिकृत व्यक्ति विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों को मेजबान देश की आवश्यकता के अनुसार संगत दस्तावेज प्रदान करता है, मृतक व्यक्ति की मृत्यु पंजीकृत होती है तथा मृतकों के पार्थिव शरीरों को भारत ले जाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एनओसी जारी किया जाता है, जिसमें छुट्टियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विदेश स्थित मिशनों और केन्द्र में 24x7 हेल्पलाइन मृत्यु पंजीकरण और पार्थिव शरीरों को भारत लाने के लिए सहायता करती है।

मिशन और केन्द्र स्थानीय प्रलेखन कार्य को पूरा करने सहित पार्थिव शरीर के परिवहन से संबंधित मुद्दों को उच्च प्राथमिकता देते हैं। मेजबान देश के प्राधिकारियों द्वारा पुलिस रिपोर्ट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जारी करने में विलंब से संबंधित मुद्दे कोंसली संवाद और उच्च स्तरीय यात्राओं सहित द्विपक्षीय बैठकों के दौरान उठाए जाते हैं। इसके अलावा, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की भी स्थापना की गई है, ताकि संकट की स्थिति में साधन परीक्षण के आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता की जा सके, जिसमें सरकारी खर्च पर भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर का परिवहन भी शामिल है।

प्रत्येक भारतीय मिशन और केन्द्र में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कर्मचारियों वाला एक समर्पित कोंसली विंग मौजूद है। मिशन और केन्द्र परिवार का मार्गदर्शन करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करने सहित पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए समय पर और सुचारू दस्तावेज़ीकरण से संबंधित मामलों की निगरानी करते हैं। मिशन और केन्द्र को आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी आवंटित किया गया है ताकि परिवार संकटग्रस्त स्थिति में उनसे 24x7 संपर्क कर सकें।

अनुबंध- I

वर्ष	भारत लाए गए भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीरों की संख्या
2016	4167
2017	4222
2018	4205
2019	5291
2020	5321
2021	5834
2022	5946
2023	6532
2024	7096
2025 (अक्टूबर तक)	5897

*****